

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

२५/०२/२०२५

बनाम. गोलिन (11)

किस्म मुकदमा

१५ (५५)

प्रकरण सं.

०५

सन् 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
१० $\frac{3}{24}$	<p>पत्रावली पेस हुई। उक्त पक्ष उपस्थित। उक्त पक्ष बहद हेतु अवस्था चाहे की पूर्ति करी मरिबा अथवा दीपे जा-उके धी ०५/५/२५ बहद हेतु अतिरिक्त अथवा रिफा जाला हेतु आगामी पेसी पर आवधिक रूप में बहद को। पत्रावली वारि बहद हेतु दिनांक १०/५/२५ को पेस धी</p> <p style="text-align: right;">(५) अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहपुरा</p>	
११ $\frac{4}{26}$	<p>पत्रावली पेस हुई। पार्थी / अधिवक्ता उपस्थित नहीं। अपार्थी अधिवक्ता उपस्थित। न्यायालय द्वारा कितनी ही मरिबा पार्थी को आवजे लगवाई जाने के उपरान्त भी न तो पार्थी और न ही उनके विधिक परिनिधि / अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये।</p> <p>अतः पत्रावली अन्तर्गत आदेश ०१ नियम ०८ CPC खारिज की जाती है। पत्रावली फेस शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय से ईजलास सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(५) अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहपुरा</p>	